



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Phone 07752-260209, 260381, Web site www.ggu.ac.in

क. 263 / भंडार / 2015

निविदा सूचना

बिलासपुर, दिनांक 30.10.2015

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित कार्यो एवं सुविधाओं के प्रदाय हेतु मुहरबंद निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/ कूरियर से दिनांक 24.11.2015 अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदायें इसी दिनांक को अपराह्न 04 बजे खोली जायेगी। आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिए अलग-अलग रू. 500.00 की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम से देय हो " संलग्न करना अनिवार्य है "। विस्तृत जानकारी एवं शर्तें वि0वि0 की भंडार शाखा से कार्यालयीन समय में एवं वि0वि0 वेबसाइट www.ggu.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र0	सामग्री/कार्य का विवरण	अमानत राशि रू.
1	सामान्य मुद्रण कार्य (दर अनुबंध)	50000/-
2	डिग्री प्रिंटिंग (दर अनुबंध)	20000/-
3	फोटोकापी, कम्प्यूटर प्रिंटिंग, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. एवं फैक्स सुविधा प्रदाय	20000/-

टीप- उल्लेखित किसी भी कार्य को बिना कोई कारण बताये स्थगित करने, निरस्त करने, कार्य की मात्रा/राशि एवं अनुबंध की समयावधि को घटाने/बढाने हेतु वि0वि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। इस निविदा सूचना के विरुद्ध किसी भी तरह का संशोधन/शुद्धि पत्र केवल विश्वविद्यालय वेब पटल पर जारी किया जायेगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]

Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक 30.10.2015

उपाधि मुद्रण कार्य आवश्यक सूचना एवं निर्देश

कृपया निविदा भेजे जाने के पूर्व निम्न लिखित निर्देशों/सूचना को भली भांति पठन कर लेवें तदनुसार ही परिपूर्ण निविदा को नियत तिथि दिनांक 24.11.2015 को दोपहर 3.00 बजे के पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से सहायक कुलसचिव (भण्डार), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर (छ0ग0) 495009, के पते पर सील बंद लिफाफे में प्रेषित करें।

कार्य का नाम	: उपाधि मुद्रण कार्य
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: दिनांक – 24.11.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य	: रु. 500/- वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	: रु. 20,000/- वि0वि0 की शर्त के अनुसार वापसी योग्य

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

- 01 निविदा सूचना के अनुसार प्रत्येक कार्य/सामग्री प्रदाय हेतु पृथक-पृथक निविदा एवं प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 02 निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 03 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में ही आवेदन करना होगा जिसमें सील मुद्रा व निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 04 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर (अंको एवं शब्दों में) पूर्ण स्पेसिफिकेशन, टैक्स आदि के साथ वि0वि0 में सामग्री पहुंचाकर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के होना चाहिए। जिसमें सील मुद्रा व निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 05 वि0वि0 द्वारा प्रारूप के साथ उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) एवं वि0वि0 की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्तें (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें। अन्यथा आपके द्वारा जमा की गई निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- 06 यदि निविदाकर्ता वि0वि0 के कुलसचिव, गुरु घासीदास वि0वि0 के नाम से रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करता है तो ऐसे निविदाकार को उस बैंक ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी।
- 07 यदि निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साईट www.ggu.ac.in से डाउन लोड किया गया है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रु. 500/- की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)

- 08 निविदा के साथ अमानत राशि (संबंधित कार्य/अनुबंध/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा सूचना में उल्लेखित अमानत राशि के अनुसार) रेखांकित बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- 09 विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र के साथ समस्त नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा कर्ता की सील मुद्रा के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- 10 विश्वविद्यालय में समान कार्य/सामग्री प्रदाय के अनुभव संबंधी प्रमाण।
- 11 वाणिज्य कर/सक्षम विभाग द्वारा जारी, फर्म का वैद्य/जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। (यदि लागू हो)
- 12 PAN /TIN (जो भी लागू हो) कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
- 13 सामग्री का अधिकृत वितरक/विक्रेता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- 14 टर्न ओव्हर सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति (कम से कम तीन वर्षों की) संलग्न करें। (यदि लागू हो)
- 15 कोई अन्य दस्तावेज जो निविदाकर्ता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हो।
(यदि लागू हो)
- 16 निविदाकर्ता को 5 वर्षों का संबंधित कार्य का अनुभव अनिवार्य है तथा उक्त अनुभव होने संबंधी प्रमाण/शपथ, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म/कम्पनी का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]
Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक 30.10.2015

उपाधि मुद्रण कार्य

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500/-

प्रति,

कुलसचिव,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- उपाधि मुद्रण कार्य करने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्रमांक 263/भंडार/2015 बिलासपुर, दिनांक 30.10.2015 के संबंध में निवेदन है कि, हमने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का भली-भांति पठन कर लिया है एवं हमें सभी शर्तें मान्य हैं। अतः मेरी फर्म द्वारा मुद्रण कार्य करने हेतु निविदा दर निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

- 1 निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
निविदाकर्ता का बैंक खाता विवरण IFSC कोड -----

- 2 निविदाकर्ता का नाम
- 3 निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का माध्यम
- (विश्वविद्यालय भंडार शाखा से या वि0वि0 वेब साईट से डाउन लोड कर)
- 4 अमानत राशि रु. 500/- का बैंक ड्राफ्ट क्र.
बैंक का नाम एवं दिनांक
- 5 PAN /TIN (जो भी लागू हो) कार्ड क्र.
- 6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी फर्म का वैद्य/जीवित पंजीयन क्र0(प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)(यदि लागू हो)
7. टर्न ओव्हर सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति (कम से कम तीन वर्षों की) संलग्न करें।
- 8 उपाधि मुद्रण की दर विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप/नमूने के समान कागज पर अंकित कर संलग्न है।
- 9 निविदा प्रपत्र की कुल पृष्ठ संख्या है एवं मेरे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न है:-
निविदाकर्ता का नाम
निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
दिनांक
फर्म/कम्पनी का नाम
पता
दूरभाष क्रमांक



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]
Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक 30.10.2015

PRICE-BID

प्रति,

.....
.....
.....

1. फर्म का नाम
- पता:-
-

फैक्स नं..... फोन नं0 /मोबाईल नं0.....

2. प्रति उपाधि प्रमाण पत्र मुद्रित (प्रिंटेड) जिसमें अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, छात्र का नाम, वर्ष श्रेणी एवं विषय होगा की प्रस्तावित दर अंको में (शब्दों में.....
.....) पेपर-हैडमेंड (A-3 आकार, 300 GSM, Size 27x37cm2)
3. प्रति कोरी उपाधि (फार्मेट) मुद्रित प्रिंटेड केवल विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रारूप का मुद्रण, प्रमाण पत्र की प्रस्तावित दर अंको में (शब्दों में.....
.....)
4. जिस कक्षा में छात्र संख्या कम है या केवल 01 है ऐसे उपाधि फार्मेट निर्माण एवं उपाधि मुद्रण की दर पृथक-पृथक अंकों में(शब्दों में.....)
अंकित करें।
5. यदि किसी छात्र की उपाधि प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रिंटेड प्रति (कंडिका 2) के अनुसार मुद्रण करवानी है तो प्रति प्रमाण पत्र की मुद्रण दर अंकों में(शब्दों में.....
.....) अंकित करें।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]

Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक 30.10.2015

उपाधि मुद्रण कार्य

उपाधि मुद्रण कार्य करने से संबंधित विशेष नियम एवं शर्तें

01. निविदाकार द्वारा पूर्व में जिन विश्वविद्यालयों में उपाधि प्रिंटिंग का कार्य किया हो, उसका नमूना, आर्डर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
02. निविदाकार को डिग्री के लिये रू 20,000/- (रू बीस हजार मात्र) अमानत राशि जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम देय हों ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। यह राशि बाद में सुरक्षा राशि (EMD) में समायोजित की जाएगी। इस पर कोई भी ब्याज निविदाकार को देय नहीं होगा।
03. निविदाकार को सामग्री विश्वविद्यालय कार्यालय तक स्वयं के व्यय में पहुंचाना होगा।
04. विश्वविद्यालय उपाधि मुद्रण स्थल का निरीक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
05. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रू 100/- के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
06. निविदाकार के पास स्वयं का प्रिंटिंग का पूर्ण यूनिट एवं कागज उत्पादन करने वाले कारखाने से कागज आपूर्ति संबंधी अनुबंध होने का प्रमाण संलग्न करें।
07. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त रू 25 लाख का टर्न ओव्हर होने के दस्तावेज लगाना होगा एवं किसी भी शासकीय वि0वि0 में रू 05 लाख तक किए गए मुद्रण कार्य का कार्यादेश की प्रति लगाना होगा।
08. वर्तमान में किन –किन विश्वविद्यालयों की उपाधि प्रमाण पत्र का मुद्रण किया जा रहा है, उनकी छाया प्रति संलग्न करें।
09. मुद्रक एक ISO कंपनी हो तथा सेक्युरिटी प्रिंटर के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।
10. उपाधि मुद्रण के लिये कागज का नमूना लगाना अनिवार्य होगा, परम्परागत पेपर (हेन्ड मेड) जो स्याही को फैलने से रोके एवं उच्च गुणवत्ता वाला हो।
12. उपाधि मुद्रण मल्टी कलर में होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का मोनो होगा अनुबंध के समय डिजाईन अंतिम रूप से निराकृत (finalise) की जावेगी।
13. प्रत्येक उपाधि उल्लेखित प्रारूप के साईज की होगी तथा उसमें नम्बरिंग होगी।
14. उपाधि के कागज का प्रिंटिंग उसी नमूने में संलग्न करें जो सप्लाइ करना चाहतें हैं।
15. उपाधि मुद्रण में मुद्रक की ओर से किन्हीं तीन बिन्दुओं का उल्लेख करें जो विशेष तौर पर मुद्रक गोपनीय तौर पर देना चाहता हो। उपाधि मुद्रण के सेक्युरिटी फीचर्स का उल्लेख करें।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)

16. उपाधि फार्मेट चेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ होना चाहिये ।
17. वर्तमान में प्रदान की जा रही उपाधि का नमूना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में देखा जा सकता है।
18. प्रत्येक डिग्री में छात्र का नाम, रोल नम्बर, इनरोलमेंट नम्बर, वर्ष, डिवीजन, विषय पृथक-पृथक में प्रिंट करना होगा।
19. उपाधि में पृष्ठ भाग पर चेकिंग बाक्स, उपाधि क्रमांक प्रिंट करना होगा।
20. अनुबंध के समय विश्वविद्यालय उपाधि फार्मेट में कलर, डिजाईन एवं अन्य कोई भी परिवर्तन आवश्यक गोपनीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार उपाधि के फार्मेट में परिवर्तन कर सकता है। (जो अनुबंध के समय उल्लेख किया जायेगा, उसे ही अंतिम मान्य होगा।)
21. प्रिंटेड उपाधि प्रमाण पत्र एवं उपाधि फार्मेट मुद्रण संबंधी अनुबंध कार्यादेश जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्ष तक दोनों पक्षों को मान्य होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]

Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक-30.10.2015

उपाधि मुद्रण कार्य

अ) निविदाकर्ता की अर्हताये

- 1 निविदाकर्ता को 5 वर्षों का संबंधित कार्य का शासकीय निकायों में अनुभव अनिवार्य है तथा उक्त अनुभव होने संबंधी प्रमाण/शपथ, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 2 निविदाकार के पास स्वयं का प्रिंटिंग का पूर्ण यूनिट एवं कागज उत्पादन करने वाले कारखाने से कागज आपूर्ति संबंधी अनुबंध होने का प्रमाण संलग्न करें।
- 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त रू 25 लाख का टर्न ओव्हर होने के दस्तावेज लगाना होगा एवं किसी भी वि०वि० में रू 05 लाख तक किए गए मुद्रण कार्य का कार्यादेश की प्रति लगाना होगा।
- 4 वर्तमान में किन-किन विश्वविद्यालयों की उपाधि प्रमाण पत्र का मुद्रण किया जा रहा है, उनकी छाया प्रति संलग्न करें।
- 5 मुद्रक एक ISO कंपनी हो तथा सेक्यूरिटी प्रिंटर के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।

ब) निविदा की पद्धति

- 1 बोलियां द्वि बोली पद्धति में आमंत्रित है। द्वि बोली के तहत तकनीकी बोली को एक लिफाफा A में रखा जाना चाहिये तथा इस पर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में तकनीकी बोली का लिफाफा लिखा जाना चाहिये एवं वित्तीय बोली को पृथक से एक अन्य लिफाफा B में डाला जाना चाहिये।
- 2 तकनीकी बोली के साथ सुरक्षा राशि, निविदा शुल्क एवं नमूना सहित अन्य वांछित दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिये। वित्तीय बोली के साथ निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना चाहिये।
- 3 उपरोक्तानुसार A एवं B लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डालकर सील बंद कर सहायक-कुलसचिव, (भंडार) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ०ग० पिन- 495009 को प्रेषित करना होगा।
- 4 फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली एवं निविदा में संलग्न नमूने का परीक्षण वि०वि० के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा। नमूना पसंद न आने पर या नमूना निम्न कोटि का पाये जाने पर तकनीकी बोली को अमान्य कर दिया जायेगा एवं ऐसे फर्मों की वित्तीय बोलियों को नहीं खोला जायेगा।

स) निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें

- 1 जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह नहीं खोली जावेगी तथा मूलतः निविदाकर्ता को वापस लौटा दी जावेगी।
- 2 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर निविदाकर्ता को करना होगा। निविदाकर्ता को सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र नियम शर्तों सहित जो कि वि०वि० द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (नियम शर्तों के प्रत्येक पृष्ठों में सील सहित हस्ताक्षर करते हुए) आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 3 निविदा सूचना के अनुसार प्रत्येक कार्य/सामग्री प्रदाय हेतु पृथक-पृथक निविदा एवं प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि निविदाकर्ता इसका पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा बिना कारण बताये निरस्त समझी जावेगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)

- 4 यदि निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जमा की जाती है तो ऐसी निविदा को विश्वविद्यालय अस्वीकार कर देगा।
- 5 विश्वविद्यालय निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर किसी कार्य को कराये जाने के लिये बाध्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय सामग्री की गुणवत्ता एवं निविदाकर्ता के समान कार्य के अनुभव के आधार पर वि०वि० हित में किसी भी निविदाकार से कार्य कराये जाने का निर्णय ले सकता है।
- 6 किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्य के लिए निविदा कर्ता फर्म को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय या कोई अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
- 7 निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्री / किया गया कार्य यदि नमूने के अनुरूप संतोषप्रद नहीं पाया गया या फिर फर्म द्वारा वि०वि० के आदेश की मात्रा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो, विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा, कि निविदाकर्ता फर्म की अमानत राशि को जप्त करते हुए, फर्म को काली सूची में डाल देवे एवं नियमानुसार फर्म के विरुद्ध अन्य दंडात्मक कार्यवाही करें।
- 8 निविदा कर्ता फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का पालन करना होगा एवं इस संबंध में वि०वि० से जारी होने वाले अन्य नियम भी लागू होंगे।
- 9 निविदा में दर्शायी गई दरों में (Overwriting) होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। कृपया दरों को शब्दों/ अक्षरों में भी अंकित करें।
- 10 किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म को सामग्री का प्रदाय/कार्य संपादन वि०वि० के कार्य/क्रय आदेश के अनुरूप पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगी।
- 11 कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को यह अधिकार होगा कि वह एक या एक से अधिक निविदा स्वीकृत करे या किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर देवे।
- 10 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र में ही निविदा कर्ता अथवा पार्टनर या उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही निविदा की दरें भरी जाकर हस्ताक्षरित हो अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 11 आवश्यकता अनुसार, निविदा में दर्शायी गई दरों में निगोसियेशन भी किया जा सकता है।
- 12 निविदा में दर्शायी गयी दरें, आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी तथा निविदा दर स्वीकृत होने पर आदेश पत्र में उल्लेखित तिथि के अंदर कार्य/सामग्री प्रदाय करना होगा। दरें एवं शर्तें आपसी सहमति से अतिरिक्त 02 वर्षों तक मान्य की जा सकेगी।

- 13 फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होनी चाहिए एवं किसी भी समय यदि वि०वि० को यह ज्ञात होता है कि फर्म ने किसी अन्य संस्थान/कार्यालय में समान प्रकार के कार्य/सामग्री का प्रदाय करने हेतु इस निविदा में प्रस्तुत दर से कम में, कार्य किया/सामग्री प्रदाय किया है तो, वि०वि० को यह अधिकार होगा कि फर्म के देयक से एवं फर्म द्वारा जमा की गई अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अंतर की राशि की कटौती कर ली जायेगी।
- 14 कार्य/सामग्री प्रदाय के दौरान यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर बिजली कटौती या मशीन के ब्रेक डाउन या हड़ताल या परिवहन की समस्या या किसी अन्य कारण से मुद्रण संबंधी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो निविदाकर्ता के आवेदन के परीक्षणोपरांत, कुलसचिव के सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर, निविदा कर्ता के आवेदन पर समयवृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) मान्य की जा सकेगी। परंतु निविदाकर्ता को इस विलंब के लिये अतिरिक्त राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
- 15 निविदा में वर्णित सामग्री का प्रदाय/कार्य का संपादन, निविदा स्वीकृत होने पर प्रदाय/कार्य आदेश में उल्लेखित वि.वि. के समस्त नियम एवं शर्तों के साथ करना होगा आदेशित अवधि के अंदर प्रदाय/कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलंब हेतु कटौती की जावेगी जो निम्नानुसार होगी।
- अवधि में वृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि आदेश पत्र में निर्धारित तिथि से अधिक समय की आवश्यकता हो तो प्रदाय/कार्य संपादन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व इस हेतु आवेदन देना चाहिये ताकि समय वृद्धि पर विचार कर आदेश दिया जा सके आदेश में दिये गये तिथि के अंदर प्रदाय/कार्य पूर्ण नहीं करने पर निम्नानुसार देयक से कटौती की जावेगी।
- अ. 15 दिनों तक के विलम्ब के लिये 01 प्रतिशत
ब. 30 दिनों तक के विलम्ब के लिये 03 प्रतिशत
स. 30 दिनों के बाद विलम्ब के लिए 05 प्रतिशत

- 18 निविदाकर्ता द्वारा एक बार अपनी निविदा विश्वविद्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से प्रेषित कर देने के पश्चात् यदि वह निविदा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे निविदाकर्ता को निविदा खोले जाने के पूर्व, इस आशय का लिखित आवेदन कुलसचिव, गुरु घासीदास वि०वि० बिलासपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता निविदा से बाहर होने संबंधी आवेदन नहीं कर सकेगा अन्यथा निविदा कर्ता की अमानत राशि वि०वि० द्वारा जप्त करते हुए फर्म को वि०वि०, अपनी काली सूची में सूची बद्ध करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- 19 निविदाकर्ता निविदा को प्रेषित करने के बाद यदि निविदा में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहता है या फिर प्रस्तुत की गई दर में संशोधन करना चाहता है तो, ऐसे निविदा कर्ता को पृथक से एक लिखित आवेदन के साथ कुलसचिव, गुरु घासीदास वि०वि० कोनी, बिलासपुर (छ०ग०) के नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से वि०वि० को निविदा खोले जाने के पूर्व तक प्रेषित कर सकता है। निविदा खोले जाने के उपरांत निविदा कर्ता के किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
- 20 निविदा में क्रय/कार्य हेतु दर्शायी गई मात्रा/अनुमानित राशि को कम या अधिक करने का अधिकार कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाकर्ता पर संशोधित मात्रा/राशि के अनुरूप सामग्री प्रदाय/कार्य संपादित वि०वि० के नियम व शर्तों के साथ करना बंधन कारी होगा।
- 21 निविदा में दर्शायी गई दर में समस्त व्यय सम्मिलित माना जावेगा एवं प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय वि०वि० द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 22 निविदाकर्ता फर्म का यदि वि०वि० में पूर्व का कोई भी देयक लंबित होगा या पूर्व के किसी भी विभाग की निविदा हेतु अमानत राशि/सुरक्षा निधि वि०वि० के पास जमा होगी तो ऐसे समस्त देय/जमा राशि/एफ डी आर को इस निविदा के लिये अमानत राशि/सुरक्षा निधि के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा। अतः इस निविदा हेतु समस्त राशि को पृथक से वि०वि० में जमा करना होगा अन्यथा फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)

- 23 अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा यह राशि समय सीमा समाप्ति पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर मूलतः वापस कर दी जावेगी।
- 24 अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें क़य समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होगी उनकी अमानत राशि आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के मूलतः वापस लौटा दी जावेगी।
- 25 नियत तिथि व समय के उपरांत किसी भी निविदा को वि०वि० द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। डाक विभाग में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब के लिये वि०वि० जवाबदेह नहीं होगा एवं ऐसे प्रकरण में निविदा कार की कोई भी अपील वि०वि० द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 26 विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई नियम व शर्त में संशोधन करने, अतिरिक्त शर्त जोड़ने एवं वि०वि० हित में किसी नियम/शर्त को शिथिल करने का पूर्ण विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं निविदा कर्ता पर बंधनकारी रहेगा।
- 27 निविदाकर्ता को वि०वि० के परिसर में कहीं भी आदेशानुसार सामग्री का प्रदाय/कार्य का संपादन बिना किसी अतिरिक्त भुगतान (यथा लोडिंग,अनलोडिंग परिवहन व्यय आदि) के करना होगा।
- 28 निविदा खोले जाते समय निविदाकर्ता स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (निविदाकर्ता द्वारा जारी अधिकार पत्र के साथ) समिति के समक्ष उपस्थित रह सकता है।
- 29 वि०वि० हित में यदि आवश्यकता होगी तो किसी भी कार्य/सामग्री प्रदाय हेतु एक से अधिक निविदाकार को निगोसियेशन उपरांत कार्य संपादन/सामग्री प्रदाय हेतु कार्य / क़य आदेश दिया जा सकेगा।

- 30 निविदाकर्ता को वि0वि0 द्वारा निविदा मान्य/स्वीकृत होने के पश्चात् आवश्यकता अनुसार निगोसियेशन एवं अनुबंध के लिए वि0वि0 में बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस कार्य को संपादित करने में जो भी व्यय भार होगा उसे निविदाकर्ता स्वयं वहन करेगा।
- 31 निर्माता कंपनी/उत्पादनकर्ता/वितरक द्वारा समय समय पर किसी भी सामग्री पर यदि कोई छुट किसी भी स्कीम के तहत उपभोक्ता को दी जाती है तो ऐसी छुट एवं इसकी स्कीम का लाभ निविदाकर्ता वि0वि0 को प्रदान करने हेतु बाध्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अंतर की राशि निविदाकर्ता के देयक से वि0वि0 कटौती करने को स्वतंत्र होगा।
- 32 वि0वि0 के पास यह अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेगा कि निविदा में उल्लेखित किसी भी कार्य को संपादित करावे अथवा बिना कोई कारण बताये वि0वि0 हित में ऐसे किसी भी कार्य को कराने से मना कर देवे।
- 33 किसी भी विवाद की स्थिति में पहली अपील कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को विवाद उत्पन्न होने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर तथा द्वितीय अपील दो सप्ताह के अंदर कुलपति महोदय को किया जा सकेगा। माननीय कुलपति, गुरु घासीदास वि0वि0, बिलासपुर छ0ग0, निर्णय हेतु प्रकरण को किसी भी आरबीट्रेटर के पास भेज सकेगे (आरबीट्रेशन एक्ट के अनुसार)। ऐसे प्रकरण में कुलपति जी के स्वयं का निर्णय या आरबीट्रेटर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- 34 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में बिलासपुर (छ0ग0) न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।
- 35 फर्म को प्रत्येक सामग्री/कार्य के लिए दर प्रदान करना आवश्यक है। यदि फर्म किसी सामग्री/कार्य में अपनी दर अंकित नहीं करती है तो यह मान लिया जायेगा कि फर्म उस सामग्री/कार्य की दर अन्य सामग्री/कार्य में समाहित कर ली गई है एवं सामग्री/कार्य को विश्वविद्यालय को निःशुल्क देने को तैयार है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

सहा-कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

[A Central University Established by the Central Universities ACT 2009 No. 25 of 2009]
Phone No. 07752-260209, 260381 Web site www.ggu.ac.in

निविदा सूचना क्रमांक 263/भंडार/2015

दिनांक-30.10.2015

उपाधि मुद्रण कार्य

—: निविदाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र :—

निविदाकर्ता कृपया घोषणा पत्र का भली भांति पठन करने के उपरांत फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए निविदाकर्ता अपना स्वयं हस्ताक्षर करें एवं इसे आवश्यक रूप से निविदा के साथ जमा करें। निविदा के साथ घोषणा पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

फर्म यह घोषणा करती हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त का निविदाकर्ता द्वारा भली भांति पठन कर लिया है एवं समझ लिया गया है। निविदाकर्ता को वि०वि० की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्त मान्य है एवं निविदाकर्ता/फर्म पर बंधनकारी है। निविदाकर्ता/फर्म ने वि०वि० द्वारा निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति, वांछित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है। निविदा में, फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की काट छांट नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा वांछित दस्तावेज, राशि, सामग्री का नमूना आदि मेरे द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

फर्म यह घोषणा करता है कि फर्म को किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था अथवा शासकीय निधि से घोषित संस्था द्वारा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में, यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी, या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् यदि मेरी निविदा वि०वि० को प्राप्त होती है या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट /कुरियर के अलावा यदि मैंने निविदा वि०वि० को प्रेषित की है या वि०वि० द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त, दिशा निर्देशो का यदि मैंने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वयं निरस्त मानी जावेगी एवं वि०वि० का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर